23/6/25

पश्चा. पेश। हुई। वकील वादी द्वारा। वादी वकील द्वारा पत्रावली को नोटिस किये जाने बाबत अंडरटेकिंग दी गई। वादी वकील के कथन है कि हम वादी दावा को आगे चलाना नहीं चाहते अतः पत्रावली नोटिस के आधार पर सही स्तर पर खारिज की जाती है।

पश्चा. फैसला सुनाया गया, नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:55:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner